कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

फा.क. /राजस्व/तीन/2020–21/642 कोरबा, दिनांक 01/10/2020

तृतीय निविदा आमंत्रण सूचना

नगर पालिक निगम कोरबा सीमांतर्गत सड़क के मध्य विद्युत खम्मों पर दोनो तरफ साईज 5X2 का विज्ञापन बोर्ड स्थापित करने हेतु 05 वर्ष के लिए प्रति वर्गफुट निविदा दर (वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2024–25 तक) निर्धारित अमानत राशि के साथ आमंत्रित किए जाते है। विस्तृत शर्ते निगम कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर देखे जा सकते है।

क.	क्षेत्र एवं कार्य का नाम	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	लीज अवधि 05 वर्ष	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि	निविदा प्रपत्र जमा/प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
1	कोरबा जोन विद्युत पोल पर–44 नग	25,000/-	750/-	05 वर्ष	09.10.2020	12.10.2020	16.10.2020
2	परिवहन नगर जोन विद्युत पोल पर–73 नग	25,000/-	750/-	05 वर्ष	09.10.2020	12.10.2020	16.10.2020
3	कोसाबाड़ी जोन विद्युत पोल पर–53 नग	25,000/-	750/-	05 वर्ष	09.10.2020	12.10.2020	16.10.2020

1. निविदा प्रपत्र की प्रतियां नगर पालिक निगम, साकेत भवन रामपुर कोरबा कार्यालय से उपरोक्त कार्यो हेतु नाम के सम्मुख अंकित राशि नगद जमा कर ऊपर लिखित तिथि को सायं 5.00 बजे तक अवकाश के दिन को छोड़कर प्राप्त की जा सकती है। यदि निविदा डाक द्वारा मंगाना हो तो रूपये 50/– अधिक भेजना होगा तथा निविदा प्रपत्र समय पर मिलने अथवा न मिलने की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी ।
2. निविदा प्राप्त करने के इच्छुक ठेकेदार को ऑनरशीप यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्यप्रतिलिपि आयकर प्रमाण पत्र, पेन नम्बर, आधार नंबर, जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा प्रपत्र जारी नहीं किया जावेगा ।
3. अमानत राशि के रूप में जमा बैकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट एवं मूल निविदा प्रपत्र की सील बंद निविदायें 03 लिफाफा में देना होगा। उपरोक्त निविदा का निविदा प्रपत्र कार्यालय के वेबसाइट **www.korbamunicipal.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है। लिफाफा 'अ' में निर्धारित अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक एवं निविदा प्रपत्र यदि वेबसाइट से डाउन लोड किया गया हो तो उसके मूल्य का बैक ड्राफ्ट/बैकर्स चेक/एफडीआर भरकर देना होगा। लिफाफा 'ब' में ठेकेदार का आनरशीप यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र, (पार्टनरशीप डीड) की सत्यप्रतिलिपि, विगत निर्धारण वर्ष 2019–20 का आय कर विवरणी की प्रतिलिपि, पेन नं., आधार नंबर, जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र एवं निगम द्वारा जारी निविदा शर्तो को मान्य करते हुए उसकी एक प्रति जिसके प्रत्येक कंडिका में ठेकेदार के हस्ताक्षर सहित निविदा शर्तो को भर कर देना होगा। लिफाफा 'स' में मूल निविदा प्रपत्र जिसमें दर अंकित हो भरकर देना होगा। लिफाफा 'अ' एवं 'ब' में निर्धारित मापदण्ड पूर्ण होने पर ही लिफाफा 'स' खोला जावेगा एवं निगम की काली सूची में दर्ज फर्म का भी लिफाफा नहीं खोला जावेगा। उपरोक्त निविदा रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से भरकर देना होगा।
4. पूर्ण रूप से भरे हुऐ निविदा प्रपत्र निर्धारित तिथि 16.10.2020 को 3:00 बजे तक केवल स्पीड पोस्ट/रजिस्ट्रर्ड डाक के माध्यम से जमा की जा सकती है जो कि उसी दिन सायं 4:00 बजे निविदा कर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी।
5. निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा ।
6. सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा ।
7. निविदा स्वीकृत /अस्वीकृत या पूर्ण रूप से अमान्य करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को रहेगा ।
8. किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा का रहेगा ।
9. निविदा की शर्त एवं बोर्ड लगाने की स्थान की जानकारी निगम कार्यालय में उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध किया जा सकता है।
10. अन्य जानकारी नगर पालिक निगम "साकेत भवन" कोरबा कार्यालय एवं **(www.korbamunicipal.in)** से प्राप्त की जा सकती है।
11. जोन में दर्शित होर्डिंग्स की संख्या आवश्यकता एवं स्थल अनुसार कम अथवा ज्यादा करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

01.10.2020

होर्डिंग्स अधीक्षक
नगर पालिक निगम कोरबा
(छत्तीसगढ़)

D:\Word file\Holding 2020\Copy of -08-2020\Electric pole hording\Tender 2020.doc

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

फा.क. /राजस्व/तीन/2020–21/ 642   कोरबा, दिनांक 01.10.2020

तृतीय निविदा आमंत्रण सूचना

नगर पालिक निगम कोरबा सीमांतर्गत सड़क के मध्य विद्युत खम्भों पर दोनो तरफ साईज 5x2 का विज्ञापन बोर्ड स्थापित करने हेतु 05 वर्ष के लिए प्रति वर्गफुट निविदा दर (वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2024–25 तक) निर्धारित अमानत राशि के साथ आमंत्रित किए जाते है।

क.	क्षेत्र एवं कार्य का नाम	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	लीज अवधि 05 वर्ष	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि	निविदा प्रपत्र जमा/प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
1	कोरबा जोन विद्युत पोल पर–44 नग	25,000/-	750/-	05 वर्ष	09.10.2020	12.10.2020	16.10.2020
2	परिवहन नगर जोन विद्युत पोल पर–73 नग	25,000/-	750/-	05 वर्ष	09.10.2020	12.10.2020	16.10.2020
3	कोसाबाड़ी जोन विद्युत पोल पर–53 नग	25,000/-	750/-	05 वर्ष	09.10.2020	12.10.2020	16.10.2020

विस्तृत जानकारी/शर्ते निगम कार्यालय कार्यालयीन दिवस एवं समय तथा वेबसाइट **www.korbamunicipal.in** पर देखे जा सकते है।

01.10.2020

होर्डिंग्स अधीक्षक
नगर पालिक निगम कोरबा
(छत्तीसगढ़)

D:\Word file\Holding 2020\Copy of -08-2020\Electric pole hording\Tender 2020.doc

सड़क के मध्य में विद्युत पोल पर विज्ञापन बोर्ड लगाने संबंधी निविदा की शर्ते :—

1. विद्युत पोल पर विज्ञापन बोर्ड हेतु प्रत्येक ग्रुप के लिये अमानत राशि आयुक्त नगर निगम कोरबा के नाम से बैकर्स चेक/बैक ड्राफ्ट/एफडीआर के रूप में जमा करना होगा। लिफाफे पर बैकर्स चेक/बैक ड्राफ्ट/एफडीआर का कमांक, राशि एवं दिनांक तथा जिस जोन के लिए जमा किया जा रहा हैं उसका कमांक लिखना अनिवार्य होगा।
2. विद्युत पोल पर लगाये जाने वाले विज्ञापन बोर्ड हेतु एक ग्रुप के लिए जमा अमानत राशि में केवल एक ग्रुप हेतु निविदा दर दी जा सकती है। प्रत्येक ग्रुप हेतु पृथक–पृथक लिफाफे में निविदा स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से की जा सकती है।
3. निविदाकार को विद्युत पोल पर पर लगाए जाने वाले विज्ञापन बोर्ड हेतु प्रति वर्गफुट दर निविदा में भरना होगा। निविदाकर्ता का नाम किसी भी संस्था में काली सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए ।
4. 5'x2' (5 ऊचांई एवं 2 फीट चौड़ाई) साईज के विज्ञापन बोर्ड हेतु उच्चतम दर प्रति वर्गफुट के आधार दर आमंत्रित की गई है। यदि विज्ञापन एजेंसी इससे बड़ा विज्ञापन बोर्ड लगाना चाहेंगे तो इसकी अनुमति आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा की स्वीकृति के पश्चात् ही दी जा सकेगी।
5. यह कि निविदा में निर्धारित एक ग्रुप के अतिरिक्त अन्य ग्रुप का उल्लेख करने पर निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी अर्थात प्रत्येक ग्रुप के लिए पृथक–पृथक लिफाफे में निविदा फार्म ही मान्य होगा। निविदा खोले जाने के समय स्वयं निविदाकर्ता अथवा उसका कोई एक प्रतिनिधि ही उपस्थित रह सकेगा।
6. सीलबंद निविदाए 03 लिफाफा पद्धति से देना होगा। अमानत राशि के रूप में जमा बैकर्स चेक/बैक ड्राफ्ट/एफडीआर एवं मूल निविदा प्रपत्र की सील बंद निविदायें 03 लिफाफा में देना होगा। उपरोक्त निविदा का निविदा प्रपत्र कार्यालय के वेबसाइट **korbamunicipal.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है। लिफाफा 'अ' में निर्धारित अमानत राशि का बैक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/एफडीआर एवं निविदा प्रपत्र यदि वेबसाइट से डाउन लोड किया गया हो तो उसके मूल्य का बैक ड्राफ्ट/बैकर्स चेक/एफडीआर भरकर देना होगा। लिफाफा 'ब' में ठेकेदार का आनरशीप यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र, (पार्टनरशीप डीड) की सत्यप्रतिलिपि, विगत निर्धारण वर्ष 2019–20 का आयकर विवरणी की प्रतिलिपि, पेन नम्बर, आधार नम्बर, जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र एवं निगम द्वारा जारी निविदा शर्तो को मान्य करते हुए उसकी एक प्रति जिसकें प्रत्येक कंडिका में ठेकेदार के हस्ताक्षर सहित निविदा शर्तो को भर कर देना होगा। लिफाफा 'स' में मूल निविदा प्रपत्र जिसमें दर अंकित हो भरकर देना होगा। लिफाफा 'अ' एवं 'ब' में निर्धारित मापदण्ड पूर्ण होने पर ही लिफाफा 'स' खोला जावेगा एवं निगम की काली सूची में दर्ज फर्म का भी लिफाफा नहीं खोला जावेगा। उपरोक्त तीनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में होगा तथा निविदा रर्जिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से भरकर देना होगा।
7. निविदा दर स्वीकृत होने के पश्चात निविदाकार विज्ञापन एजेन्सी द्वारा उस जोन में निविदा प्रपत्र में निर्धारित विज्ञापन बोर्ड की पूरी संख्या का पूर्ण किराया (वार्षिक) देना होगा। निर्धारित विद्युत पोल व निर्धारित संख्या से कम संख्या में विज्ञापन बोर्ड लगाने की स्थिति में वैकल्पिक स्थल का चयन किया जावेगा। वैकल्पिक स्थल उपलब्ध न होने पर नहीं लगाये गये विज्ञापन बोर्ड के किराये की राशि का समायोजन अगले वर्ष के किराये में किया जायेगा। निविदा दर स्वीकृत होने के 15 दिन के भीतर अनुबंध करना होगा तथा अनुबंध दिनांक से एक माह का समय होर्डिग्स लगाने हेतु दी जावेगी। अनुबंध से एक माह पश्चात् किराया प्रारम्भ माना जावेगा। निर्धारित संख्या से अधिक विज्ञापन बोर्ड बिना अनुमति के लगाये जाने पर अनुपातिक राशि का पांच गुना अतिरिक्त जमा करना होगा तथा उचित पाये जाने पर उस विज्ञापन बोर्ड की अनुमति दी जावेगी अथवा तत्काल उसे हटाना होगा।
8. किसी भी विभाग द्वारा लगाया जाने वाला समस्त कर निविदाकार विज्ञापन एजेन्सी के द्वारा देय होगा।
9. सभी निविदा में दर पांच वर्ष के लिए आमंत्रित की गई है। निविदा स्वीकार होने पर एक वर्ष का किराया शुल्क विज्ञापन बोर्ड हेतु निविदा में दी गई संख्या अनुसार अनुबंध के पूर्व नगर निगम में जमा करना होगा। आगामी वर्ष का किराया वर्ष प्रारंभ होने के 2 माह पूर्व 10 प्रतिशत वृद्धि सहित

जमा करना होगा अन्यथा निविदा निरस्त की जा सकेगी तथा अमानत राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्टेट करने का कार्यवाही की जायेगी।

10. विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु अनुबंध पांच वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष समाप्ति पश्चात स्वीकृत वार्षिक निविदा दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी। राशि निर्धारित अवधि में जमा न कराये जाने पर कुल देय राशि में प्रतिमाह 3 प्रतिशत की दर से अधिभार लिया जायेगा। निर्धारित अवधि में राशि जमा न कराये जाने पर निविदा निरस्त की जा सकेगी तथा अमानत राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्टेट करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

11. प्रत्येक ग्रुप में विज्ञापन बोर्ड की संख्या एवं स्थान निर्धारित किया गया है एवं इनकी सूची निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है। अन्य आवश्यक जानकारी व शर्ते कार्यालयीन समय में नगर राजस्व शाखा से प्राप्त की जा सकती है।

12. निविदा को अपरिहार्य कारणों से निरस्त करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के पास सुरक्षित रहेगा। किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अंतिम अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा का होगा।

13. विज्ञापन एजेन्सी द्वारा अनुबंध का उल्लघंन करने पर एक माह की सूचना पर आयुक्त नगर निगम द्वारा अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

14. किसी भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में एक सप्ताह के भीतर संबंधित एजेंसी आयुक्त नगर निगम कोरबा के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकेगा एवं आयुक्त नगर निगम, कोरबा का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

15. विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु इकरारनामा 5 वर्ष तक के लिए होगी तथा अवधि पश्चात् दी गई अनुमति स्वमेव ही समाप्त हो जायेगी। अवधि समाप्त होने पर स्वयं के व्यय पर विज्ञापन बोर्ड हटाना होगा अन्यथा नगर निगम के द्वारा जप्त कर लिया जावेगा।

16. विज्ञापन एजेन्सी द्वारा लगाये गये विज्ञापन बोर्ड के कारण होने वाले प्राकृतिक एवं आकस्मिक तथा अन्य किसी भी प्रकार की दुघर्टनाओ हेतु विज्ञापन एजेन्सी जवाबदेय होगी। इसमें होनी वाली जन-धन की हानि हेतु क्षतिपूर्ती संबंधित विज्ञापन एजेन्सी द्वारा वहन की जावेगी तथा विज्ञापन एजेन्सी को इस आशय का शपथ-पत्र नगर निगम, निर्धारित प्रारूप में अनुबंध के पूर्व देना होगा।

17. स्वच्छता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था एवं जनहित में अथवा किसी प्रकार के न्यूसेन्स एवं विवाद की स्थिति में किसी भी विज्ञापन बोर्ड को बिना कारण बताये 48 घंटे की सूचना देकर आयुक्त नगर निगम कोरबा द्वारा हटवाया जा सकेगा एवं हटाये जाने का व्यय अथवा इस पर होनी वाली किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ती हेतु संबंधित विज्ञापन एजेन्सी जवाबदेय होगी। हटाये जाने वाले विज्ञापन बोर्ड का अनुपातिक किराया राशि स्वीकृत निविदा दर अनुसार वापिस कर दी जायेगी।

18. यह कि निविदाकर्ता को शासन/नगर पालिक निगम, कोरबा की विधि, उपविधियां और निर्णय तथा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।

19. धरोहर राशि का समायोजन अंतिम वर्ष के किराये में किया जावेगा।

20. यह कि शासन एवं नगर निगम कोरबा द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधित किया गया अथवा सामाजिक दृष्टिकोण से विकृत/अश्लील/आपत्ति जनक लेख से संबंधित एवं अन्य किसी भी प्रकार से आपत्तिजनक विज्ञापन विज्ञापन बोर्ड पर प्रदर्शित नही किया जायेगे अन्यथा तत्काल बगैर सूचना के आयुक्त नगर निगम कोरबा द्वारा हटा दिये जायेगें तथा इसमें होनी वाली दण्ड, हानि, हटाने का व्यय एवं सभी प्रकार की क्षतिपूर्ती विज्ञापन एजेन्सी से वसूल किया जायेगा।

21. अनुबंध पश्चात विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु चयनित विद्युत पोल का प्रभारी अधिकारी द्वारा अवलोकन किया जायेगा एवं स्वीकृति उपरान्त ही विज्ञापन बोर्ड लगाया जा सकेगा।

22. भुगतान संबंधी विवाद होने पर निगम द्वारा दर्शायी गई वसूली योग्य राशि पहले संबंधित एजेंसी को नगर निगम में जमा कराना होगा, तत्पश्चात् ही उनके पक्ष पर विचार किया जा सकेगा। निगम हित/जनहित में निगम आयुक्त सभी शर्तो को अथवा कोई भी शर्तो को शिथिल कर सकेंगे।

23. यह कि अर्नेस्ट मनी (बैकर्स चेक/बैक ड्राफ्ट/एफडीआर) निविदा स्वीकृत होने पर प्रतिभूति स्वरूप रहेगी एवं जिस विज्ञापन एजेन्सी की निविदा स्वीकृत होगी, उसे छोड़कर शेष का जमा बैकर्स चेक/बैक ड्राफ्ट/एफडीआर वापस कर दी जायेगी एवं, जिस एजेंसी की निविदा स्वीकृत

होगी उनका अर्नेस्ट मनी (बैकर्स चेक/बैक ड्राफ्ट/एफडीआर) निविदा अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार वापस की जावेगीं।

24. सम्पूर्ण नगर निगम सीमान्तर्गत कोई भी नये प्रकार के विज्ञापन के लिए समस्त अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस संबंध में कोई भी निविदाकार अथवा अन्य विज्ञापन एजेन्सी की किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नही किया जायेगा।

25. विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु शासन के किसी अन्य विभागों से अनापत्ति आवश्यक होने पर संबंधित विज्ञापन एजेन्सी को ही ऐसी अनापत्ति प्राप्त कर नगर निगम में जमा कराना होगा।

26. विद्युत पोल पर विज्ञापन बोर्ड हेतु आवश्यकता अनुसार विद्युत कनेक्शन लेने की स्थिति में विज्ञापन एजेन्सी द्वारा स्वतः के व्यय पर विद्युत मण्डल से अनापत्ति प्राप्त करते हुए पृथक से मीटर लगवाना होगा जिसका मासिक बिल विज्ञापन एजेन्सी द्वारा दिया जायेगा। ऐसे विद्युतिकृत विज्ञापन बोर्ड पूर्णतः सुरक्षित ढ़ंग से विज्ञापन एजेन्सी द्वारा लगाये जायेगे तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार की दुघर्टना आदि होने पर समस्त जवाबदारी संबंधित विज्ञापन एजेन्सी की होगी। विज्ञापन एजेन्सी द्वारा मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रीशियन/हेल्पर एवं कुशल तथा अनुभवी कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार नियुक्ति करना होगा।

27. यातायात संबंधित नियमों एवं निर्देशो का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा तथा विज्ञापन कार्य हेतु यातायात विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना होगा।

28. विद्युत पोल पर व उसकी संपूर्ण संरचना तथा उस पर विज्ञापित, प्रदर्शित सामग्री से किसी व्यक्ति, संस्था की संपत्ति, यातायात व सड़क के आवागमन में किसी प्रकार की कोई बाधा, अवरोध दृष्टिबाधा तथा उससे किसी प्रकार के चककीला परावर्तन नही होना चाहिए। विज्ञापन बोर्ड में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक स्कीन वाली, चलायमान तत्व (Moving Articles) तथा शोर (Noise) उत्पन्न करने वाली सामग्री प्रदर्शित नही की जाएगी।

29. विद्युत पोल पर में प्रदर्शित विज्ञापन सामग्री किसी भी प्रकार से अशोभनीय, अश्लील, अशिष्ट सार्वजनिक नैतिकता के प्रतिकूल, सार्वजनिक भावनाओं को ठेस पहुचाने वाली, अभद्र, अमंगलकारी तथा भ्रामक नही होनी चाहिए।

30. विद्युत पोल पर से किसी व्यक्ति/संस्था अथवा आम नागरिको को किसी प्रकार के पर्यावरण के प्रतिकूल, शारिरिक अथवा मानसिक परेशानी नही होनी चाहिए। विज्ञापन बोर्ड में किसी भी प्रकार के नशे की सामग्री या उसके उपयोग को बढ़ावा देने से संबंधित विज्ञापन इत्यादि का प्रदर्शन नही किया जाएगा।

31. विद्युत पोल पर में किसी भी संवैधानिक संस्थाओं, केन्द्र सरकार, राज्य शासन, उसके अधीन समस्त शासकीय उपकमों, शासकीय संस्थाओं तथा उनके समस्त पदाधिकारियों के विरूद्ध किसी भी प्रकार का विज्ञापन, फोटो, रेखाचित्र, कार्टून, वाक्य, शब्द, इत्यादि आपत्तिजनक या अपमानित करने वाला प्रदर्शन नही किया जाएगा।

32. फर्म द्वारा विज्ञापन बोर्ड में केन्द्र सरकार व राज्य शासन द्वारा प्रतिबंधित किसी भी संगठन के प्रचार–प्रसार अथवा उनके द्वारा किसी कार्यकम के प्रयोजन–आयोजन से संबंधित कोई भी सूचना, विज्ञापन या प्रचारात्मक सामग्री का प्रदर्शन नही किया जाएगा।

33. विद्युत पोल पर में विज्ञापन अथवा प्रदर्शित सामग्री के लिए उपयोग में लाई जाने वाली समस्त सामग्रियों यथा फ्लेक्स, कपड़ा या अन्य कोई प्रयुक्त सामग्री पूर्ण गुणवत्ता की होनी चाहिए। ऐसी सभी सामग्रियां होर्डिंग्स की संरचना में व्यवस्थित रूप से लगी होनी चाहिए।

34. विद्युत पोल पर में प्रदर्शित किसी भी आपत्तिजनक विज्ञापन अथवा प्रदर्शित सामग्री के संबंध में आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के मौखिक अथवा लिखित निर्देश पर उसे 24 घण्टे में अनिवार्य रूप से हटाना होगा। ऐसे आपत्तिजनक विज्ञापन अथवा प्रदर्शित सामग्री 24 घण्टे के अन्दर नही हटाए जाने पर आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को यह अधिकार होगा कि वह उसे हटा दे तथा इस पर होने वाला व्यय फर्म से विधि अनुरूप उसकी वसूली करें, आपत्तिजनक सामग्री हटाने के दौरान किसी भी क्षति या नुकसान के लिए नगर पालिक निगम, कोरबा जिम्मेदार नही होगा।

35. नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा निर्धारित स्थल पर विज्ञापन बोर्ड की संरचना स्थापित करते समय फर्म को स्थल के आस–पास संपूर्ण सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करना होगा, विज्ञापन बोर्ड की स्थापना से जुड़े समस्त कर्मचारियों, कुशल–अकुशल मजदूरों तथा आम जनता की

कार्य के दौरान संपूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा ताकि किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना न हो।

36. एक बार विज्ञापन बोर्ड लग जाने के बाद विज्ञापन की संरचना का विज्ञापन प्रदर्शित वाला क्षेत्र सामग्री/फ्लेक्स रहित (Uncovered) नही होना चाहिए, बिना विज्ञापन की अवधि के दौरान अथवा तेज हवा–बरसात या अन्य किन्ही कारणों से कटे–फटे फ्लेक्स/प्रदर्शित सामग्री इत्यादि को तत्काल बदलना होगा ताकि विज्ञापन बोर्ड गंदा या भद्दा (Indecent) न दिखें।

37. विद्युत पोल पर में प्रदर्शित सामग्री यदि किसी प्रकार से विज्ञापन बोर्ड से अलग होती है अथवा हवा में लहराने लगे या खतरनाक स्थिति में हो तो इसे तत्काल ठीक करना होगा, फर्म का यह दायित्व होगा कि वह विज्ञापन बोर्ड का नियमित रूप से निरीक्षण करें ताकि किसी भी संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सकें।

38. फर्म को अनुबंध अवधि के उपरांत विज्ञापन बोर्ड हटाते समय विद्युत पोल को पूर्वत ही संरक्षित, साफ अथवा मरम्मत करना होगा जैसा कि वह विज्ञापन बोर्ड लगाने के पूर्व थी, विज्ञापन बोर्ड हटाने के बाद स्थल में किसी भी प्रकार की अवशेष व कचरा इत्यादि नही रखना चाहिए।

39. विद्युत पोल पर की स्थापना से उसके लगे रहने की संपूर्ण अवधि तक किसी भी जान–माल अथवा अन्य किसी भी प्रकार की हानि/क्षति के लिए एजेंसी स्वयं जिम्मेदार होगी, किसी भी नुकसान, हानि, क्षति की संपूर्ण भरपाई एजेंसी द्वारा ही की जायेगी।

40. नगर पालिक निगम, कोरबा से किसी भी प्रकार से किसी भी क्षति और हानि के लिए जिम्मेदार नही होगा और ना ही उससे ऐसी किसी क्षतिपूर्ति की मांग की जा सकेगी तथा किसी भी न्यायालय या अन्य के समक्ष नगर पालिक निगम, कोरबा के समक्ष नगर निगम, कोरबा के विरूद्ध वाद दायर नही किया जा सकेगा।

41. विद्युत पोल पर में यदि प्रकाश व्यवस्था किया जाना हो तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के निर्धारित सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा तथा विद्युत कनेक्शन लेने हेतु नगर निगम कोरबा द्वारा अनापर्ति पत्र जारी किया जाएगा, विज्ञापन बोर्ड हेतु विद्युत कनेक्शन लेने तथा नियमित रूप से भुगतान से संबंधित समस्त व्यय फर्म द्वारा स्वयं किया जाएगा।

42. आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा की लिखित अनुमति के बिना स्थापित किया गया विज्ञापन बोर्ड पूर्ण रूप से अवैध होगा तथा नगर निगम कोरबा द्वारा जप्त कर राजसात कर लिया जाएगा।

43. फर्म को किराए पर दिए विद्युत पोल की संख्या में से 10 (दस) प्रतिशत विज्ञापन बोर्ड योजना स्थल पर या नगर के किसी स्थल पर आयुक्त, नगर निगम, कोरबा के निर्देशानुसार एवं अनुमोदन के अनुसार प्रचार–प्रसार सामग्री लगानी होगी, फर्म को संयुक्त रूप से सीमित अवधि के लिए एक बार में अधिकतम एक माह के लिए तथा एक साल में अधिकतम तीन माह की अवधि के लिए स्वयं के व्यय से फ्लेक्स बनाकर अनुमोदित कर प्रदर्शित करना होगा।

44. एजेन्सी को विज्ञापन बोर्ड के स्थल आबंटन की अनुमति एवं अवैधता संबंधी अद्यतन खाता (समस्त रिकार्ड) रखना अनिवार्य होगा नगर निगम कोरबा द्वारा मांगे जाने पर यह रिकार्ड आयुक्त नगर पालिक निगम अथवा उसके द्वारा नामित प्रतिनिधि के समक्ष संपूर्ण जांच (स्थल सहित) के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

45. विद्युत पोल पर स्थल किराए पर देने के किसी भी नियम का उल्लंघन की सूचना देने पर फर्म को अधिकतम 10 दिनों के अन्दर विज्ञापन बोर्ड व उसकी संरचना को अनिवार्य रूप से हटाना होगा। निर्धारत होर्डिग्स संख्या से अधिक बिना अनुमति के होर्डिग्स लगाये जाने पर 5 गुना अधिभार वसूल किया जावेगा।

46. नगर पालिक निगम, कोरबा को यह अधिकार होगा कि वह अपनी आवश्यकता होने पर अथवा ऐसे ही किसी यथोचित स्थिति व दशा में बिना बताए विज्ञापन बोर्ड की अनुमति को निरस्त कर दे ऐसी स्थिति में एजेन्सी को विज्ञापन बोर्ड तथा उसकी संरचना को 10 दिनों के अन्दर हटाना होगा नगर निगम कोरबा की आवश्यकता एवं स्वयं की किसी विशेष परिस्थिति में विज्ञापन बोर्ड हटाए जाने के निर्णय पर हटाए जाने वाले विज्ञापन बोर्ड के उपयोग की अवधि को छोड़कर शेष राशि बिना ब्याज वापस की जा सकेगी।

47. एजेन्सी को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों तथा नगर पालिक निगम के लागू व प्रचलित तथा समय–समय पर लागू किए जाने वाले नियमों, अधिनियमों, आदेश, निर्णय, संकल्पों

का पालन करना होगा तथा भविष्य में लागू/अधिरोपित किए जाने वाले शुल्क, सरचार्ज इत्यादि का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा।

48. नियमों एवं शर्तो का उल्लंघन किए जाने पर कोरबा नगर पालिक निगम द्वारा कारण बताओं सूचना जारी किया जाएगा, जिसका एजेन्सी को 3 कार्य दिवसों में जवाब देना होगा। यदि जवाब संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर उल्लंघन माना जाएगा, इसके लिए आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा निम्न कार्यवाही की जाएगी :–

(अ) पहली बार नियम उल्लंघन पर रू. 10,000/– अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।

(ब) दुसरी बार नियम उल्लंघन पर रू. 20,000/– अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा ।

(स) तीसरी बार नियम उल्लंघन पर रू. 30,000/– अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

49. चौथी बार नियम का उल्लघन किए जाने पर संबंधित एजेंसी को दी गई विज्ञापन बोर्ड आबंटन की अनुमति पूर्ण रूप से निरस्त कर दी जायेगी, फलस्वरूप एजेंसी का 10 दिनों के अन्दर विज्ञापन बोर्ड की संपूर्ण संरचना को विद्युत पोल से हटाना होगा।

50. एजेंसी द्वारा नियम एवं शर्तो का उल्लघन किए जाने की स्थिति में विज्ञापन बोर्ड व सुरक्षा निधि राजसात कर ली जायेगी तथा बकाया राशि भू–राजस्व की तरह वसूल की जायेगी ।

51. **कोरबा जोन, परिवहन नगर जोन, कोसाबाड़ी जोन** के लिए आवेदन फार्म प्राप्त कर धरोहर राशि जमा करना होगा। **कोरबा जोन के लिए रू. 25,000/–, परिवहन नगर जोन 25,000/–, कोसाबाड़ी जोन के लिए रू. 25,000/–** निर्धारित है। जिसमें उच्चतम निविदाकर्ता को छोड़कर शेष निविदाकर्ताओं की राशि वापसी योग्य होगी।

52. विद्युत पोल पर विज्ञापन बोर्ड (1) **कोरबा जोन रू. 200.00, (2) परिवहन नगर जोन रू. 200.00, (3) कोसाबाड़ी जोन रू. 200.00** प्रति वर्गफुट न्यूनतम आफसेट दर (विद्युत पोल के एक तरफ) निर्धारित किया गया है। उक्त आफसेट दर में 18% जीएसटी अतिरिक्त देय होगा। यदि विज्ञापन एजेंसी इससे बड़ा विज्ञापन बोर्ड लगाना चाहेंगे तो इसकी अनुमति आयुक्त नगर पालिक निगम,कोरबा की स्वीकृति के पश्चात ही लगाया जा सकेगा।

53. छ.ग. शासन नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के अधिसूचना दिनांक 07.08.2012 क्रमांक एफ 5–13/18/2011 छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 432 (अ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा राज्य में नगर पालिक निगम, कोरबा के द्वारा विज्ञापन व्यवसाय/सेवा के विनियमन हेतु उक्त अधिनियम की धारा 427 की उपधारा (23) के अंतर्गत आदर्श उपविधि अनुसार नगर पालिक निगम कोरबा में अंगीकृत की गई है।

54. उच्चतम निविदाकर्ता द्वारा छत्तीसगढ़ शासन नगर प्रशासन एवं विकास की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–13/18/2011 दिनांक 07.08.2012 के अधीन निर्धारित प्रारूप में वचन बद्ध निष्पादन के उपरांत एवं अनुबंध के पश्चात ही विज्ञापन बोर्ड लगाया जावेगा। अनुबंध दिनांक से किराया एवं विज्ञापन अनुज्ञप्ति शुल्क प्रभावशील होगा।

55. उच्चतम निविदाकर्ता एजेंसी को 10 प्रतिशत विद्युत पोल पर विज्ञापन बोर्ड आवश्यकता होने पर निगम के लिए आरक्षित रखना होगा।

56. किसी भी न्यायालयीन विवाद की स्थिति में न्यायाधिकार क्षेत्र कोरबा (छ.ग.) के अधीन होगा।

होर्डिंग्स अधीक्षक
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

सड़क के मध्यम विद्युत खम्भों में विज्ञापन (होर्डिंग्स लगाने की सूची

कोरबा जोन

1. सुनालिया ज्वेलर्स पा.हा.रोड से पेट्रोल पम्प रेल्वे क्रासिंग तक 19 नग, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोरबा से सीतामणी चौक तक 25 नग विद्युत खम्भों पर दोनो तरफ साईज 5X2 कुल 44 नग

परिवहन नगर जोन

2. सी.एस.ई.बी चौक से शारदा विहार मोंड़ तक सड़क के मध्य विद्युत खम्भों पर दोनो तरफ 5X2 विज्ञापन बोर्ड कुल–73 नग विज्ञापन बोर्ड

कोसाबाड़ी जोन

3. नीलाम्बरी मोड से सुभाष चौक तक 46 नग एवं बुधवारी बाजार 07 नग सडक के मध्य विद्युत खम्भों पर दोनो तरफ 5X2 विज्ञापन बोर्ड कुल–53 विज्ञापन बोर्ड

होर्डिंग्स निरीक्षक
होर्डिंग्स शाखा
नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

सड़क के मध्य विद्युत खम्भों में विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु

निविदा प्रपत्र

निविदा फार्म शुल्क – 750/–

रसीद क्रमांक व दिनांक ....

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम, कोरबा
जिला–कोरबा (छ.ग.)

विषय :– नगर पालिक निगम, कोरबा सीमांतर्गत सड़क के मध्य विद्युत खम्भों में दोनो तरफ साईज 5X2 विज्ञापन बोर्ड लगाने के संबंध में

नगर पालिक निगम, कोरबा सीमांतर्गत चिन्हांकित स्थलों में विज्ञापन बोर्ड/होर्डिंग्स लगाने हेतु निर्धारित शर्तो के तहत् सहमत हूँ। निगम द्वारा निर्धारित शर्तो की जानकारी ली जाकर पढ़कर सोच–समझ कर निविदा (ऑफर) प्रपत्र प्रस्तुत है।

क्र.	जोन का नाम	विवरण	विद्युत खम्भों की संख्या	प्रतिबोर्ड साईज (वर्गफुट)	निर्धारित दर (प्रति वर्गफुट) एक तरफ न्यूनतम	अवधि	निविदा (ऑफर) राशि एक तरफ (प्रति वर्गफुट में)
1	कोरबा जोन	सुनालिया ज्वेलर्स पा. हा.रोड से पेट्रोल पम्प रेल्वे क्रासिंग तक 19 नग, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोरबा से सीतामणी चौक तक 25 नग विद्युत खम्भों पर कुल 44 नग दोनो तरफ	44	5'X2'	रू. 200.00	05वर्ष	अंकों में :.......................... शब्दों में : ....

मेरे द्वारा निर्धारित अमानत राशि रू. .... (शब्दों में) .... बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/एफडीआर क्र.एवं दिनांक .... बैंक का नाम .... में नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.) में जमा की गई है।

अतः मुझे विद्युत खम्भों पर विज्ञापन बोर्ड लगाने की अनुमति प्रदान करें। नगर पालिक निगम, कोरबा की सभी शर्ते मुझे मान्य है।

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर

नाम – ....

पिता/पति का नाम – ....

स्थायी पता –......................................

....

मोबाईल नं.–......................................

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

सड़क के मध्य विद्युत खम्भों में विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु

निविदा प्रपत्र

निविदा फार्म शुल्क – 750/–

रसीद क्रमांक व दिनांक ....

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम, कोरबा
जिला–कोरबा (छ.ग.)

विषय :– नगर पालिक निगम, कोरबा सीमांतर्गत सड़क के मध्य विद्युत खम्भों में दोनो तरफ साईज 5X2 विज्ञापन बोर्ड लगाने के संबंध में

नगर पालिक निगम, कोरबा सीमांतर्गत चिन्हांकित स्थलों में विज्ञापन बोर्ड/होर्डिंग्स लगाने हेतु निर्धारित शर्तो के तहत् सहमत हूँ। निगम द्वारा निर्धारित शर्तो की जानकारी ली जाकर पढ़कर सोच–समझ कर निविदा (ऑफर) प्रपत्र प्रस्तुत है।

क्र.	जोन का नाम	विवरण	विद्युत खम्भों की संख्या	प्रतिबोर्ड साईज (वर्गफुट)	निर्धारित दर (प्रति वर्गफुट) एक तरफ न्यूनतम	अवधि	निविदा (ऑफर) राशि एक तरफ (प्रति वर्गफुट में)
2	परिवहन नगर जोन	सी.एस.ई.बी. चौक से शारदा विहार मोड़ तक 73 नग विद्युत खम्भों पर कुल 73 नग दोनो तरफ	73	5'X2'	रू. 200.00	05वर्ष	अंकों में :....................... शब्दों में : ....

मेरे द्वारा निर्धारित अमानत राशि रू. .... (शब्दों में) ....
.... बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/एफडीआर क्र.एवं दिनांक ....
बैंक का नाम .... में नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.) में जमा की गई है।

अतः मुझे विद्युत खम्भों पर विज्ञापन बोर्ड लगाने की अनुमति प्रदान करें। नगर पालिक निगम, कोरबा की सभी शर्ते मुझे मान्य है।

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर
नाम – ....
पिता/पति का नाम – ....
स्थायी पता –.......................................
....
मोबाईल नं.–.......................................

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

सड़क के मध्य विद्युत खम्भों में विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु

निविदा प्रपत्र

निविदा फार्म शुल्क – 750/–

रसीद क्रमांक व दिनांक ....

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम, कोरबा
जिला–कोरबा (छ.ग.)

विषय :– नगर पालिक निगम, कोरबा सीमांतर्गत सड़क के मध्य विद्युत खम्भों में दोनो तरफ साईज 5X2 विज्ञापन बोर्ड लगाने के संबंध में

नगर पालिक निगम, कोरबा सीमांतर्गत चिन्हांकित स्थलों में विज्ञापन बोर्ड/होर्डिंग्स लगाने हेतु निर्धारित शर्तों के तहत् सहमत हूँ। निगम द्वारा निर्धारित शर्तों की जानकारी ली जाकर पढ़कर सोच–समझ कर निविदा (ऑफर) प्रपत्र प्रस्तुत है।

क्र.	जोन का नाम	विवरण	विद्युत खम्भों की संख्या	प्रतिबोर्ड साइज (वर्गफुट)	निर्धारित दर (प्रति वर्गफुट) एक तरफ न्यूनतम	अवधि	निविदा (ऑफर) राशि एक तरफ (प्रति वर्गफुट में)
3	कोसाबाड़ी जोन	नीलाम्बरी मोड़ से सुभाष चौक तक 46 नग एवं बुधवारी बाजार 07 नग विद्युत खम्भों पर कुल 53 नग दोनो तरफ	53	5'X2'	रू. 200.00	05वर्ष	अंकों में :..................... शब्दों में :..................... ....

मेरे द्वारा निर्धारित अमानत राशि रू. .... (शब्दों में) .... बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/एफडीआर क्र.एवं दिनांक .... बैंक का नाम .... में नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.) में जमा की गई है।

अतः मुझे विद्युत खम्भों पर विज्ञापन बोर्ड लगाने की अनुमति प्रदान करें। नगर पालिक निगम, कोरबा की सभी शर्ते मुझे मान्य है।

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर

नाम – ....

पिता/पति का नाम – ....

स्थायी पता – ....

....

मोबाईल नं.–..............................